1501
08/05/25

**बिहार सरकार**
**ग्रामीण कार्य विभाग**
**सकारण आदेश**

प्रधान सचिव का कोषांग
09 MAY 2025
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक– 5.5.25

संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.03.2023 को दुर्व्यवहार, गाली गलौज, पीटने तथा जान से मारने का प्रयास करने, सोने के चेन छीनने, कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज, मापी पुस्त आदि नष्ट करने संबंधी आरोपो के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2310 दिनांक 28.04.2023 द्वारा संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151) को अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"12. We thus modify the order of blacklisting to be operative for 5 years and not 10 years.

13. With the aforenoted modification in the impugned order dated 28.04.2023, the writ petition stands disposed off. "

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को याचिका निष्पादित करते हुए संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा के कालीकरण (Blacklist) की अवधि 10 (दस) को घटाकर 05 (पॉच) वर्ष किया गया है।

अतएव सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151) ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा को 10 वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2310 दिनांक 28.04.2023 को संशोधित (Modify) करते हुए आदेश निर्गत की तिथि 28.04.2023 से अगले 05 (पॉच) वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि– संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा, बिहार पिन कोड–852113 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गो0प्र0सं0 3516
दिनांक 8/05/25

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
1675
13/5/25

(18)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 / पटना, दिनाक– 5.5.25

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख